Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **राजसमंद में जिला परिवहन अधिकारी एवं उसके दो दलाल 50 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *07 अप्रेल, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर राजसमंद एवं उदयपुर इकाई द्वारा आज राजसमंद में संयुक्त कार्यवाही करते हुये नैन सिंह सोढ़ा जिला परिवहन अधिकारी व उसके दलाल वजहराम गुर्जर, तरूण कुमार (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **50 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की राजसमंद इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि वह यातायात सलाहकार का कार्य करता है, उसके प्रेषित किये हुए लाईसेंस बनाने की एवज में नैन सिंह सोढ़ा जिला परिवहन अधिकारी द्वारा प्रति लाईसेंस 1150 रूपये (डी.टी.ओ. के 500 रूपये, आनन्द सिंह यातायात निरीक्षक के 500 रूपये एवं संबंधित लिपिक मुकेश कुमार के 150 रूपये) के हिसाब से प्रति लाईसेंस लिया करते थे। अब जिला परिवहन अधिकारी द्वारा प्रति लाईसेंस 1750/–रुपये कमीशन के रूप में मांगे जा रहे हैं तथा 15 फरवरी के बाद से लाइसेंसों को पास नहीं किया जा रहा है। नैन सिंह सोढ़ा जिला परिवहन अधिकारी द्वारा दो महिने के बकाया कमीशन के रूप में **2 लाख 61 हजार** रूपये उसके दलाल वजहराम गुर्जर (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** एवं **पुलिस अधीक्षक श्री राजीव पचार** के सुपरविजन में एसीबी राजसमंद इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अनूपसिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर मय **पुलिस निरीक्षक श्री हरीशचन्द्र** तथा टीम द्वारा आज राजसमंद में ट्रेप कार्यवाही करते हुए दलाल वजहराम गुर्जर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 50 **हजार रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में संलिप्तता पाये जाने पर नैनसिंह सोढ़ा जिला परिवहन अधिकारी राजसमंद व दलाल तरूण कुमार (प्राईवेट व्यक्ति) को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ तथा जिला परिवहन अधिकारी के राजसमंद एवं जयपुर स्थित आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।